

थाना बण्डा पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड

***भारी मात्रा में निर्मित/ अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित**

02 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार*

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार में श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार, क्षेत्राधिकारी पुवायां के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे आपरेशन पाताल के दौरान थाना बण्डा को बड़ी सफलता मिली।

आज दिनांक 22.03.2021 को थाना बण्डा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण 1. रतिराम उर्फ छोटे पुत्र छिदम्मी निवासी ग्राम सुभानपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर व 2. रामू बाबा पुत्र राधाकृष्ण निवासी ग्राम तिन्दुआ नगरिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को भांभी नहर के किनारे नहर विभाग की खण्डहर कोठी से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर थाना पर मु0अ0स0 157/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- रतिराम उर्फ छोटे पुत्र छिदम्मी निवासी ग्राम सुभानपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- रामूबाबा पुत्र राधाकृष्ण निवासी ग्राम तिन्दुआ नगरिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

- 1- 02 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस,
- 2- 02 अदद अधबने तमंचे 315 बोर,
- 3- 03 अदद नाल 315 बोर व 12 बोर अधबनी,
- 4- 03 अदद बांडी,
- 5- नाल में होल करने वाली मशीन,
- 6- शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण हथौड़ी, छैनी, आरी आदि

कार्यक्षेत्र व पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है तथा हत्या, रेप, आदि अपराधों कारित किये गये है तथा पूर्व में जेल भी जा चुके है। यह अवैध शस्त्र बनाकर बनाकर आस पास के क्षेत्रों में सप्लाई करता है तथा एक तमंचा 4000-5000 रूपये में बेचता था। इसी से अवैध धन अर्जित करता है। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्त रामू बाबा कुख्यात बदमाश है इसके द्वारा वर्ष 1995 में कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस कान्स्टेबल मो0 यामीन की हत्या की गयी थी।

आपराधिक इतिहास-

1-रामू बाबा पुत्र राधाकृष्ण

- 1- मु0अ0सं0 537/07 धारा 302,307,506,34 भादवि थाना बण्डा शाह0
- 2- मु0अ0सं0 186/95 धारा 147,148,149,302 भादवि थाना बण्डा शाह0
- 3-मु0अ0सं0 294/06 धारा 376,323,506 भादवि थाना बण्डा शाह0

2-रतिराम उर्फ छोटे

1- मु0अ0सं0 157/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना बण्डा शाह0

2- मु0अ0सं0 294/06 धारा 376,323,504,506 भादवि थाना बण्डा शाह0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

2- उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

3- का0 1893 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

4- का0 1859 प्रेमपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

5- का0 249 रामकिशुन वर्मा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

6- का0 1871 कपिल गोस्वामी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

7- का0 1867 विकल कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर